मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में सात अध्याय सम्मिलित हैं जिसकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

अध्याय।: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 8,49,801 करोड़ थीं, जिसमें वितीय वर्ष 2015-16 (₹ 7,42,012 करोड़) में 14.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर ने वर्ष 2016-17 में जीडीपी का 5.6 *प्रतिशत* दर्शाया। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 51.0 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49.5 *प्रतिशत* हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटकों में से, निगम कर से संग्रहण वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 4.53 लाख करोड़ से 7.0 *प्रतिशत* बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 4.85 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2.80 लाख करोड़ से 21.5 *प्रतिशत* बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 3.41 लाख करोड़ हो गया।

गैर निगमित निर्धारितियों की संख्या 9.8 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3.98 करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.37 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.6 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.9 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.1 लाख हो गई।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 9.2 लाख मामलों में से आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.0 लाख (44.0 *प्रतिशत*) मामलों का निपटान किया था। पिछले वर्ष निपटान दर 48.1 *प्रतिशत* थी।

पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के विलम्ब में वितीय वर्ष 2012-13 में 28.9 *प्रतिशत* से वि.व. 2016-17 में केवल 10.7 *प्रतिशत* तक की काफी कमी हुई।

बकाया मांग वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 8.2 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 10.4 लाख करोड़ हो गईं। विभाग ने दर्शाया कि 98.6 *प्रतिशत* से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल होगी।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.6 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2.9 लाख हो गई। इन मामलों में अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 6.1 लाख करोड़ थी। उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरूद्ध राशि वितीय वर्ष 2015-16 मे ₹ 3.0 लाख करोड़ (70,371 मामले) से बढ़कर वितीय वर्ष 2016-17 में ₹ 4.4 लाख करोड़ (82,806 मामले) हो गई।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, वितीय वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षित यूनिटों में 2.57 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए, जिनमें से हमने 2.39 लाख मामलों की जांच की। इसके अलावा, हमने वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों मे पूरे किए गए 0.30 लाख मामलों की भी लेखापरीक्षा की। वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में 0.19 लाख (पिछले वर्ष 7.3 *प्रतिशत* के प्रति 7.2 *प्रतिशत*) मामलों में गलतियाँ थी।

पिछले कुछ वर्षों में निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में लगातार और अत्यधिक अनियमिततायें हुई। पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार बताने के बावजूद भी ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति विभाग की ओर से संरचनात्मक कमियों के साथ-साथ ऐसी अनियमितताओं का पता लगाने हेतु उचित संस्थागत तंत्र का अभाव दर्शाता है। ऐसी अनियमितताऐं विशेष रूप से महाराष्ट्र और दिल्ली में निर्धारण प्रभारों में देखी गई।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को सूचित केवल 457 उच्च मूल्य के मामलों को शामिल किया गया है। इनमें से, हमने 31 अक्टूबर 2017 तक 269 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त किये थे, जिसमें से 243 मामलों (90.3 *प्रतिशत*) को स्वीकार किया गया था और 26 मामलों को स्वीकार नहीं किया गया था। शेष मामलों मे मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर नहीं दिए। इनमें, संवीक्षा

निर्धारणों के दौरान फर्जी मांग और निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहारों के संबंध में क्रमश: अध्याय V तथा अध्याय VI में वर्णित मामले, जो लेखापरीक्षा में देखे गए थे सम्मिलत नहीं किए गए है। इसके अलावा, इस प्रतिवेदन में एक विषय आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा "आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया" पर भी चर्चा की गई है जिसे अध्याय VII में सम्मिलित किया गया है।

पिछले पांच वर्षों में, आयकर विभाग ने निर्धारणों में चूकों को, जो हमने बताई थी सुधारने के लिए की गई मांगों से ₹ 4,951.51 करोड़ की वसूली की थी। लेखापरीक्षा में बताए गए ₹ 0.87 लाख करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 49,436 मामले आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 31 मार्च 2017 तक निपटान के लिए शेष थे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,637.81 करोड़ के कर प्रभाव के 2,243 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए।

अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 3,850.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 320 उच्च मूल्य वाले मामले बताए। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है नामत: (1) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 625.73 करोड़ (99 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, (2) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन; जिसमें ₹ 1,789.22 करोड़ (150 मामले) कर प्रभाव शामिल था; (3) चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 989.93 करोड़ (31 मामले) कर प्रभाव शामिल था; तथा (4) कर/ब्याज का अधिक-प्रभार जिसमें ₹ 446.08 करोड़ (40 मामले) शामिल थे।

अध्याय IV: आयकर और धनकर

हमने आयकर से संबंधित ₹ 335.53 करोड़ के कर प्रभाव वाले 131 उच्च मूल्य वाले मामले तथा ₹ 0.46 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन कर के छ: मामले बताए। हमने इन मामलों को निम्नानुसार चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया: (1) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 217.93 करोड़ (69 मामले) के कर प्रभाव शामिल था; (2) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 78.19 करोड़ (35 मामले) का कर प्रभाव शामिल था; (3) चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय ₹ 18.61 करोड़ (17 मामले)

का कर प्रभाव शामिल था; तथा (4) कर/ब्याज का अधिक प्रभार जिसमें ₹ 21.61 करोड़ (16 मामले) शामिल थे।

अध्याय V: संवीक्षा निर्धारणों के दौरान अवास्तविक मांगे

हमने यह बताया कि आयकर विभाग ने उन पद्धतियों का सहारा लेकर अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मांग की थी, जो अनियमित तथा अनाधिकृत थी। ऐसे संग्रहीत मांग को धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ अगले वित्तीय वर्ष में वापिस किया गया जिसने अंतत: प्रतिदायों पर दिए गए परिहार्य ब्याज के रूप में राजकोष पर अधिक भार डाला।

अध्याय VI: निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहार

हमने यह बताया कि आयकर विभाग ने फर्जी दान या फर्जी खरीदों के मामलो का निपटान करने के लिए एकसमान पद्धति नहीं अपनाया। एओ ने विजिलेन्स विंग के प्रतिवेदनों का संज्ञान नहीं लिया तथा फर्जी दान या फर्जी खरीदों की राशियों को नामंजूर करके आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफल हुए जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

अध्याय VII: आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया

हमने आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत 17,097 अपील मामलों की लेखापरीक्षा की तथा अधिनियम/नियमों/सीबीडीटी परिपत्रों आदि के प्रावधानों का अनुपालन न करने से संबंधित ₹ 549.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,203 मामलों में अनियमितताएँ पाई। ऐसी अनियमितताएँ लेखापरीक्षित कुल मामले के 12 *प्रतिशत* से अधिक थी।

हमने देखे गए नियमों के अन्य उल्लघंन बताने के अलावा, निधारितियों द्वारा कर के भुगतान की पूर्वशर्त को नजरअंदाज करके सीआईटी (अपील) द्वारा अपीलों को दाखिल करने सम्बन्धी बताई।

अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन में, हमने निर्धारिती को पहले ही जारी प्रतिदाय, ब्याज के कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण होने पर विचार न करने के कारण अपीलीय आदेशों को प्रभाव देने में चूकें देखी। अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत निर्धारिती को ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। हमने ऐसे मामले भी देखे जहां अपीलीय प्राधिकारियों ने राजस्व के पक्ष में निर्णय दिए परन्तु अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अप्राप्त रहा।